

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का दिनिश्चय देखिए)

निम्नांकित राज्य कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृत किया जाता है।


क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	व्यख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि
1	OM PRAKASH SHARMA	GHSS AKOLA - BHOPAL SAGAR - CHITTAURGARH	COMM	01-05-1958	30-04-2018
2	NATHU RAM	G SR. SEC. S BABAI-JHUNJHUNU	COMM	02-05-1958	31-05-2018
3	PREM Shankar DADHICH	GOVT. SR. HR. SCHOOL DABLANA - BUNDI	COMM	03-02-1959	28-02-2019
4	KAMLESH TIWARI	GOVT. SENIOR SEC. SCH. BAGAR RAJPUT - RAMGARH,ALWAR	COMM	01-07-1958	30-06-2018
5	NAWAL KISHOR SHARMA	GOVT. ADARSH SENIOR SEC. SCHOOL BARODA MEO- ALWAR	COMM	07-07-1958	31-07-2018
6	BALWANT SINGH	SAHID VINOD KUMAR GOVT AADARSH SSS HARPALU - CHURU	COMM	25-08-1958	31-08-2018
7	RAMENDRA SINGH	G S S S TAMKOR- JHUNJHUNU	COMM	17-01-1958	31-01-2018
8	ASHWINI KUMAR GAUTAM	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, GUMANPURA (08300606005)	COMM	17-06-1958	30-06-2018
9	ASHOK KUMAR MEHTA	SH.M.L.V.GOVT.S.SEC.SCHOOL BHADESAR CHITTAURGARH	COMM	01-04-1959	31-07-2018
10	DAMODAR PRASAD SHARMA	GHSS JILIYA-KUCHAMAN-NAGAUR	COMM	28-04-1958	30-04-2018
11	GIRDHARI LAL SHARMA	GHSS LALAS-KUCHAMAN-NAGAUR	COMM	05-07-1958	31-07-2018
12	BABU LAL SAINI	AADERSH GOVT.SENIOR SEC. SCHOOL BASWA-BANDIKUI- DAUSA	COMM	26-05-1958	31-05-2018
13	RAMGOPTAL SHARMA	ABEEO, B E E O MANDRAYAL - KAROLI	COMM	11-09-1958	30-09-2018
14	VISHNU PRASAD GUPTA	ABEEO, B E E O GANGAPUR CITY - S.MADHOPUR	COMM	14-07-1958	31-01-2019

15	USHA KAPOOR	SAVITRI GOVT. GIRLS HR.SEC.SCHOOL AJMER (08211502609)	COMM	31-08-1958	31-08-2018
----	-------------	--	------	------------	------------

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित क्रम संख्या 13 रामगोपाल शर्मा, एबीईईओ कार्यालय बीईईओ मण्डरायल-करौली के विरुद्ध दो वा.वे.वृ. संचयी प्रभाव से दिनांक 16.09.16 द्वारा रोकੀ गई,के अलावा के विरुद्ध आज तक-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट: वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की दिपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।

  
(नथमल डिंडेल)


IAS  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-- शिविरा--माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2018-19

दिनांक- 25.04.2018

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा- I/II
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 7 सम्बन्धित व्याख्याता
- 8 रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
मायमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर